www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 27.02.2017

सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में मध्य रेलवे के मण्डल अभियन्ता को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 20,000/ रू. की घूस की माँग व स्वीकार करने पर मण्डल अभियन्ता, सी.एस.टी., मध्य रेलवे, मुम्बई को गिरफ्तार किया।

एक शिकायत के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित भष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 एवं इनके प्रमुख अपराधों के तहत मामला दर्ज हुआ। ऐसा आरोप था कि मध्य रेलवे, मुम्बई में कार्यरत मण्डलीय अभियन्ता एवं नक्शा नवीस (ड्राफ्ट मैन), ने भूमि के सन्दर्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 40,000/- रू. की अवैध रिश्वत की माँग की। बाद में,मण्डलीय अभियन्ता शुरूवाती भुगतान के तौर पर 20,000 रू. तथा शेष राशि को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के समय स्वीकार करने को तैयार हुआ। नक्शा नवीस (ड्राफ्ट मैन) ने भी साइट भ्रमण करने के लिए घूस की माँग की। सीबीआई ने जाल विछाया एवं मण्डलीय अभियन्ता को 20,000 रू. की घूस स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी के आवासीय परिसर में तलाशी की गई जिसमें एक करोड़ रू. (लगभग) का निवेश दर्शाने वाली जमा रशीदें ; एक किग्रा (लगभग) के स्वर्ण आभूषण ; तीन फ्लैटों व एक जमीन के भू-भाग की खरीद के सम्बन्ध में दस्तावेज और लॉकर भी बरामद हुए।

गिरफ्तार आरोपी को मुम्बई की नामित अदालत के समक्ष पेश किया गया एवं दिनांक 27.02.2017 तक पुलिस हिरासत में भेजा गया।

****